लिखे उत्तरों की जांच के दौरान, एक उम्मीदवार के गणित और भौतिकी के लिखे उत्तरों में अंकों में, की गयी गड़बड़ी ध्यान में आई थी। उम्मीदवार का परिणाम रोक लिया गया था और प्रारम्भिक जांच के आधार पर एक संकाय सदस्य निलम्बित कर दिया गया था। तत्पश्चात्, एक पांच सदस्यीय जांच समिति, जिसमें बाहर के लोग भी शामिल थे, सारे मामले की जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, एक और संकाय सदस्य को निलम्बित कर दिया गया है और 2 निलम्बित संकाय सदस्यों तथा 3 अन्यों को आरोप पत्र दे दिए गए हैं। आरोप-पत्रों के उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।

हालांकि, यह एक इक्का दुक्का मामला है, फिर भी कमियों को यदि कोई हो, दूर करने के ख्याल से समस्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे0 ई0ई0) पद्धति की पुनरीक्षा करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है।

दूसरे बांध के सर्वेक्षण के कारण बाण सागर बांध के निर्माण कार्य का रुक जाना

38. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बाण सागर बांध के वर्तमान स्थल के अतिरिक्त राज्य सरकार ने उसके ऊपरी भाग की ओर एक दूसरा बांध बनाने के लिये सर्वेक्षण के आदेश दिये हैं अथवा इस बारे में दिल्ली में बाण सागर बोर्ड को अथवा इस बांध के लिये बनाई गई कार्यकारी समिति को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान स्थल पर निर्माण कार्य तब तक बन्द पड़ा रहेगा जब तक कि दूसरे बांध के लिये सर्वेक्षण पूरा नहीं हो जाता और यदि हां, तो क्या जैसाकि प्रधान मंत्री ने बताया है, 6 वर्षों मे बांध कार्य पूरा करना संभव हो सकेगा?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राज्य सरकार ने सोन की ऊपरी पहुंचों में दूसरे बांध के सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं। किन्तु, इसके बारे मे बाणसागर नियंत्रण बोर्ड अथवा इसको कार्यकारी समिति को राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) क्या बाण सागर बांध के वर्तमान स्थल पर निर्माण कार्य जारी रहेगा और इस कारण यह बंद नहीं होगा। इस कार्य को 6 वर्ष के भीतर पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

बोरियों की कमी के कारण अनाज की कम वसूली

39. **श्री गंगा भक्त सिंह** :

श्री जनार्दन पुजारी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस तर्क पर किसानों से अनाज की वसूली निर्धारित दरों पर नहीं की जा रही है कि सरकार के पास बोरियों की कमी है और किसानों को अनेक दिन खरीद केन्द्रों पर प्रतीक्षा करने के बाद भी उचित मूल्य नहीं मिलता है और उन्हें अपने उत्पादों को दलालों को बेचने पर मजबूर होना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने और बोरियों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेगी; और

(ग) क्या सरकार इसके लिये जिम्मेदार और दलालों से सांठ-गांठ करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख). सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं कि बोरियों की अस्थायी कमी के कारण वसूली करने में कुछ विलम्ब हुआ था।

पश्चिमी बंगाल की पटसन मिलों में हड़ताल होने के परिणामस्वरूप और उस राज्य में बिजली की भारी कमी के कारण वसूली एजेंसियों को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से बोरियों की सप्लाई प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की राज्य सरकारों और उनकी वसूली एजेंसियों को खुले बाजार से बोरियों की 37,950 गांठें खरीदने की अनुमति दी गई थी। इसके साथ-साथ बंगला देश से बोरियों की 45,000 गांठें आयात की गई थीं जिनमें से 35,000 गांठें इन राज्यों को आबंटित की गई थीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।